न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या: 07/2020	धारा अन्तर्गत 40,88,89,90,91,188,53 आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांक:13.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री गजेन्द्र नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–कृष्णकान्त, तुलसीराम सोमानी एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मोहनीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां, राज0
2. अभिषेक पुत्र स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां, राज0
3. बन्टी पुत्रस्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां, राज0 –वादीगण

बनाम

1. प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र श्री देवा उर्फ देवलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राज0
2. रामलाल पुत्रप्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राज0
3. बालमुकन्द पुत्र प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राज0
4. चेतन पुत्र प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राज0
5. ललता पुत्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम रटावद हाल निवासी तुलसां कोटडी तहसील बारां जिला बारां राज0
6. चन्दा पुत्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नी श्री हंसराज जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद निवासी ग्राम झाखरोड तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
7. कमलाबाई पत्नी श्री जमना जाति धाकड़ निवासीगण रटावद हाल दण्डोतिया की बाडी तेलफैक्ट्री, बारां तहसील बारां जिला बारा, राज0
8. देवकरण पुत्रश्री जमना जाति धाकड़ निवासीगण रटावद हाल दण्डोतिया की बाडी तेलफैक्ट्री, बारां तहसील बारां
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0 –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. कमलाबाई पत्नी स्व0 श्री जमना हि0 7/26 जाति धाकड़ रहनः–ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बारां, देवकरण पुत्रश्री जमना जाति धाकड़हि0 7/26 जाति धाकड़ रहनः–ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बारां, प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र श्री देवा उर्फ देवलाल हि0 6/13 जाति धाकड़ रहनः–आईसीआईसीआई बैंक शाखा बारां,	मि0 627	5.12 हे0	76.80	उत्तरी
2. मोहनीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री धनराज हि0 1/3 जाति धाकड़ रहनः–आईसीआईसीआई बैंक शाखा बारां,अभिषेक पुत्र स्वर्गीय श्री धनराजहि0 1/3 जाति धाकड़ रहनः–आईसीआईसीआई बैंक शाखा बारां,बन्टी पुत्रस्वर्गीय श्री धनराज हि0 1/3 जाति धाकड़ रहनः–आईसीआईसीआई बैंक शाखा बारां,	मि0 627	0.39 हे0	5.85	दक्षिणी

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्यय [illegible] आदेशित किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13.02.2023 को [illegible] किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– **07/20**
दायरा दिनांक :– 22.01.2020
निर्णय दिनांक :–30.09.2022

उनवान

1. मोहनीबाई पत्नि स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड
2. अभिषेक पुत्र स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड
3. बंटी उम्र पुत्र स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां जिला बारां —वादीगण

बनाम

1. प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र श्री देवा उर्फ देवलाल जाति धाकड
2. रामलाल पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड
3. बालमुकन्द पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड
4. चेतन पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां, राज0
5. ललता पुत्री श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नि श्री लक्ष्मीचन्द जाति धाकड निवासी रटावद हाल निवासी ग्राम तुलसां कोटडी तहसील बारां जिला बारां, राज0
6. चन्दा पुत्री श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नि श्री हंसराज जाति धाकड निवासी रटावद हाल निवासी ग्राम झाखरोड तहसील दीगोद जिला कोटा, राज0
7. कमलाबाई आयु 70 वर्ष पत्नि श्री जमना जाति धाकड
8. देवकरण पुत्र श्री जमना जाति धाकड निवासीगण रटावद हाल दण्डोतियां की बाडी तेलफैक्ट्री बारां तहसील बारां जिला बारां, राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 40, 88, 89, 90, 91, 92, 53 एवं188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांक :– 30.09.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. [illegible]नागरएड0–वादी
2. श्री [illegible]कांत शर्मा एड0–प्रतिवादी
3. [illegible]सोमानी एड0–प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 40, 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 राज0 टि0 एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। ग्राम रटावद तहसील बारां में खाता नं. नया 101 पुराना 100 से खसरा नं. 627 रकबा 5.51 है0 किस्म माल प्रथम पर स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 प्रभू का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 7 कमलाबाई का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 8 देवकरण का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। वाके ग्राम मोठपुर तहसील अटरू में खाता नं. नया 212 पुराना 220 से खसरा नं. 1612 रकबा 2.22 है0 किस्म माल प्रथम व खसरा नं. 1620/2485 रकबा 056 है0 किस्म माल प्रथम कुल किता 2 रकबा 2.78 है0 जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 प्रभू व प्रतिवादी कम 7 व 8 के पति व पिता जमना की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी आराजियात है, जो प्रतिवादी कम 1 प्रभू तथा प्रतिवादी कम 7 व 8 के पिता पति मृतक जमना को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादी कम 2 ता 6, प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है, जिनका विवादित आराजीयात में जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है।

उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी कम 1 प्रभू उर्फ प्रभूलाल का 1/2 हिस्सा व मृतक जमना का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी कम 1 प्रभूलाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी चार पुत्र वादीगण के पिता व पति मृतक धनराज, प्रतिवादी कम 2 रामलाल, प्रतिवादी कम 3 बालमुकन्द, प्रतिवादी कम 4 चेतन तथा दो पुत्रीयां प्रतिवादी कम 5 ललता, प्रतिवादी कम 6 चन्दा है तथा मृतक जमना के वारिस बेवा प्रतिवादी कम 7 कमलाबाई तथा पुत्र प्रतिवादी कम 8 देवकरण है।

प्रतिवादी कम 1 का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा है तथा मृतक धनराज जो वादीगण का पिता व पति है, का सम्पूर्ण विवादित आराजियात में 1/12 हिस्सा बनता है। जिसे वादीगण, पृथक करवाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है। प्रतिवादी कम 1, प्रतिवादी कम 2 ता 6 से मिलीभगत करके प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से की विवादीत आराजीयात को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी कम 1 ता 6 किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि विवादित आराजियात पुश्तैनी है, जिस पर वादीगण का भी बराबर हक व अधिकार प्राप्त है। इस कारण वादीगण सम्पूर्ण विवादित आराजीयात में जो वादीगण का हिस्सा निहित है, की घोषणा करवाकर वादीगण पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। दिनांक 30.12.2019 को वादीगण को जब इस बात की जानकारी हुयी कि प्रतिवादी कम 1 ता 6 विवादित आराजीयात में जो प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा है को बेचान कर रहे है, तो वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 ता 6 से कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप उक्त विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

आराजीयात में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा को बेचान व खुर्द बुर्द करना चाहते है। इस पर प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण से कहा कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है, मैं चाहू जो करू। मुझे विवादित आराजियात को रहन बेचान करने से रोकने का किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 ता 6 को उक्त विवादित आराजीयात को बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादी कम 1 ता 6 ने कहा कि अब हम विवादित आराजीयात में जो प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा है, को रहन, बेचान या खुर्द बुर्द करके रहेंगे। जिसका प्रतिवादी कम 1 तो 6 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु वादीगण, प्रतिवादी कम 1 ता 6 के विरूद्ध अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद का कारण दिनांक 30.12.2019 को प्रतिवादी कम 1 ता 6 द्वारा वादीगण को विवादित आराजीयात में जो प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा है, को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर फलस्वरूप बमुकाम रटावद तहसील बारां में पैदा हुआ।

वादिया का वाद दर्ज रजि0 कर प्रविवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता सं0 101, पेश की गई। साक्ष्य वादी में अभिषेक नागर का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिावदी कम 7 व 8 का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जो प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 7 व 8 के पिता मृतक जमना को अपने पुर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है। वादी व प्रतिवादी कम 2 ता 6 प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिस है जिनका विवादित आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है सम्पूर्ण विवादित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा बनता है जिसे वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रतिवादी कम 1 प्रतिवादी कम 2 ता 6 से मिलीभगत करके अपने हिस्से की आराजी 1/2 को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाना चाहता है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम रटावद तहसील बारां सम्वत 2072–75 खाता सं0 101 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 प्रभूलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज है प्रभूलाल के मुताबिक 7 बेटा बेटी थी का पिता व पति धनराज था जो प्रतिवादी कम 1 का बेटा था धनराज की मृत्यु हो गई जिसके तीन वारिस है एक पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

व 2 बेटा है वादीगण का दादा प्रतिवादी कम 1 प्रभूलाल है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैत्रक है जिसमें वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादी कम 1 ता 6 द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार करने में प्रतिवादी कम 1 ता 6 को कोई आपत्ति नहीं है **No objection** किया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नं. 627 रकबा 5.51 है0 में वादीगण को प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/2 में से वादीगण को उनके हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तद्नुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 07/2020	अन्तर्गत 88,89,90,92,53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :– 30.09.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री गजेन्द्र नागरएड0–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:– कृष्णकांत शर्मा एड0–प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मोहनीबाई पत्नि स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड
2. अभिषेक पुत्र स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड
3. बंटी उम्र पुत्र स्वर्गीय श्री धनराज जाति धाकड

निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां जिला बारां –वादीगण

बनाम

1. प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र श्री देवा उर्फ देवलाल जाति धाकड
2. रामलाल पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड
3. बालमुकन्द पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड
4. चेतन पुत्र श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां,
5. ललता पुत्री श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नि श्री लक्ष्मीचन्द जाति धाकड निवासी रटावद हाल निवासी ग्राम तुलसां कोटडी तहसील बारां जिला बारां, राज0
6. चन्दा पुत्री श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल पत्नि श्री हंसराज जाति धाकड निवासी रटावद हाल निवासी ग्राम झाखरोड तहसील दीगोद जिला कोटा, राज0
7. कमलाबाई आयु 70 वर्ष पत्नि श्री जमना जाति धाकड
8. देवकरण पुत्र श्री जमना जाति धाकड निवासीगण रटावद हाल दण्डोतियां की बाडी तेलफैक्ट्री बारां तहसील बारां जिला बारां, राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नं. 627 रकबा 5.51 है0 में वादीगण को प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/2 में से वादीगण को उनके हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.09.2022 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिमाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिमाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner